



शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल- registrarsnpv@gmail.com , वेबसाईट- <https://snpv.ac.in>

क्रमांक. 3814 / कार्यपरिषद् / 2022

रायगढ़, दिनांक 24.11.2022

—:: अधिसूचना ::—

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 23 की उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ के प्रथम कार्य-परिषद् का गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

(एक) कुलपति- पदेन अध्यक्ष :- प्रो. (डॉ.) ललित प्रकाश पटैरिया

(एक-अ) राज्य विधानसभा द्वारा मनोनीत राज्य विधानमण्डल के पाँच सदस्य :- रिक्त

(एक-क) कुलाधिसचिव :- रिक्त

(दो) संकायों के चार संकायाध्यक्ष जो कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे :-

1 डॉ. अशोक कुमार मेहर, प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) एवं संकायाध्यक्ष सामाजिक विज्ञान संकाय, शास. किरोड़ीमल कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रायगढ़

2 डॉ. बंशीधर दीवान, प्राध्यापक (रसायन शास्त्र) एवं संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय, शास. एम.एम.आर. पी.जी. महाविद्यालय, चाँपा

3 डॉ. डी.एस. ठाकुर, प्राध्यापक (हिन्दी) एवं संकायाध्यक्ष, कला संकाय, शास. डॉ. भीमराव अंबेडकर महाविद्यालय, पामगढ़

4 डॉ. दिलीप शुक्ला, प्राचार्य (वाणिज्य) एवं संकायाध्यक्ष वाणिज्य संकाय, शास. जाज्वल्यदेव नवीन कन्या महाविद्यालय, जाँजगीर

(चार) विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों या प्राध्ययन केन्द्रों दो आचार्य जो कुलाधिपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नामनिर्देशित किये जायेंगे :- रिक्त

(पाँच) संबद्ध महाविद्यालयों के चार प्राचार्य, जिसमें से कम से कम दो प्राचार्य उन महाविद्यालयों में से होंगे जो राज्य सरकार के हो, ये चार प्राचार्य कुलाधिपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नामनिर्देशित किये जायेंगे :-

1 डॉ. (श्रीमती) अल्का साहू, प्राचार्य, आर.के.एस. महाविद्यालय, हसौद

2 डॉ. ए.के. चतुर्वेदी, प्राचार्य, शासकीय क्रांतिकुमार भारतीय महाविद्यालय, सक्ती

3 डॉ. एफ.आर. भारद्वाज, प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, डभरा

4 रिक्त

(छः) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, या उसका नामनिर्दिष्ट व्यक्ति जो उपसचिव के पद से निम्न पद का ना हो :-

श्रीमती हिना अनिमेष नेताम, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

(सात) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग या उसका नामनिर्दिष्ट व्यक्ति जो उपसचिव के पद से निम्न पद का ना हो :-


संभागीय संयुक्त संचालक (कोष लेखा एवं पेंशन) बिलासपुर

(आठ) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित दो व्यक्ति :- रिक्त

(नौ) कुलाधिपति द्वारा राज्य शासन के सिफारिश पर नामनिर्देशित तीन व्यक्ति जिसमें से एक कृषि, उद्योग अथवा वाणिज्य का प्रतिनिधि, एक शैक्षणिक क्षेत्र का प्रतिनिधि, एक समाज कार्य का व्यक्ति होगा :- रिक्त

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 23 की उपधारा (2) के अनुसार कार्य-परिषद् के वे सदस्य, जो पदेन सदस्यों से भिन्न हो तीन वर्ष की कालावधि के लिए पद धारण करेंगे।

आदेशानुसार


कुलसचिव (प्रभारी)

रायगढ़, दिनांक 23.11.2022

पृ.क्र. 3815 / कार्यपरिषद् / 2022
प्रतिलिपि:-

01. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदया के सचिव, राजभवन, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
02. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सी-30 द्वितीय एवं तृतीय तल इंद्रावती भवन, नया रायपुर को सूचनार्थ।
04. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
05. कार्य-परिषद् के उपरोक्तानुसार समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ।
06. वित्ताधिकारी, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ को सूचनार्थ।
07. प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालय, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ को सूचनार्थ।
08. सभी विभागाध्यक्ष/विभाग प्रमुख, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ को सूचनार्थ।



प्रभारी अधिकारी (अकादमी)